य उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट महवा जिला दौसा

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्य जज रामेश्वर बनाम सतीश मु0नं0 01/2016	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
26 आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील रेस्पोडेण्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 11 जा0दी0 इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं 990 वाके ग्राम रामगढ तह० महवा जिला दौसा के संदर्भ में पूर्व में माननीय सहायक कलेक्टर दौसा के समक्ष मुकदमा नं 117/1999 जगदीश प्रसाद बनाम तहसीलदार महवा का निर्णय दिनांक 23.07.2001 को पारित किया गया जिसमें रिकार्ड दुरूस्ती के आदेश प्रदान किए गए जिसका रेफ्रेन्स अपीलांट रामेश्वर प्रसाद द्वारा 12.01.2016 को माननीय जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष रेफरेन्स पेश किया जिसे माननीय जिला कलेक्टर दौसा द्वारा मुकदमा नं 01/2016 दिनांक 28.03.2016 को अपीलांट रामेश्वर द्वारा व तत्कालीन तहसीलदार महवा द्वारा व बद्रीप्रसाद द्वारा उक्त तीनों के द्वारा उक्त खसरा न के संबंध में किए गए रेफरेन्स को एक निर्णय के द्वारा ही निस्तारित कर खारिज किया गया। उक्त निर्णय की अपीलांट रामेश्वर द्वारा राजस्व मंडल अजमेर के समक्ष पिटीश नं 30243/2016 रामेश्वर बनाम जगदीश प्रसाद वगै० पेश की गई जिसे राजस्व मंडल द्वारा 11.04.2017 को अपीलांट द्वारा पेश की गई रिविजन को खारिज कर दिया गया। राजस्व मंडल न्यायालय अजमेर के निर्णय दिनांक 11.04. 2017 अंतिम निर्णय है। अपीलांट रामेश्वर द्वारा माननीय सिविल न्यायलय महवा के समक्ष उनवानी मुकदमा रामेश्वर बनाम गिर्राज प्रसाद वगै० मुकदमा नं 58/2015 पेश किया जिसे भी न्यायालय श्रीमान द्वारा खारिज कर दिया गया है। जिसकी आज दिन तक कोई अपील निगरानी प्रस्तुत नहीं कि गई है व उक्त निर्णय अंतिम निर्णय है। किसी न्यायालय द्वारा ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण कानूनन नहीं किया जाएगा जिसे प्रत्यक्ष या सारत विवाद्यक विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच मे या ऐसे पक्षकारों की बीच के, जिनसे उत्पन्न अधिकारों के अधीन वे या उनमे से कोई वाद करते हैं जिसे किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्ष या सारत विवाद रहा हो तो ऐसे पाश्चातयवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद उठाया गया है विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है। और वह अंतिम रूप से निर्णित किया जा चुका है विचारण नहीं किया जाएगा। उक्त अपील के संबंध में पूर्व में सहायक कलेक्टर महवा द्वारा जिला कलेक्टर दौसा द्वारा या राजस्व मंडल अजमेर द्वारा व सिविल न्यायालय महवा द्वारा निर्णित किए जाने के बाद उसी विषय वस्तु पर कानूनन वाद व अपील करने का कोई प्रावधान नहीं होने व विधी द्वारा वर्जित होने के कारण अपील अपीलांट खारिज किए जाने योग्य हैं। इसलिये निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अपील अपीलांट खारिज फरमाया जाए। वकील अपीलाण्ट की ओर से जबाव पेश किया। जबाव में कहा कि प्रकरण जगदीश बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 23.07. 2021 के विरूद्ध रेफरेन्स पेश करना स्वीकार है। उक्त निर्णय दुरूस्ति रिकॉर्ड से संबंधित था तथा राजस्व मण्डल में उक्त के निर्णय के खिलाफ पिटीशन करना स्वीकार है। रेस्पोडेण्ट ने जिस मुकदमा का हवाला दिया गया है वह धारा 136 एलआरएक्ट के तहत दुरूस्ती से	

उप खण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

संबंधित है। राजस्व मण्डल ने प्रार्थी अपीलाण्ट की अपील गुणा
पर खारिज नहीं की गयी है। अपीलाण्ट ने नामांतकरण संख्या
दिनांक 22.12.2015 ग्राम पंचायत रामगढ तहसील महवा के निर्ण
खिलाफ अपील पेश की गयी है। पूर्ववर्ती निर्णय तहसीलदार, ह
कलक्टर दौसा व राजस्व मण्डल में न तो पक्षकार समान है और
ही अपीलाण्ट द्वारा चाहा गया रिलीफ ही समान है। रेस्पोंडेण्ट
अपने प्रार्थना पत्र में जिन निर्णयों का जिक्र किया गया है
पक्षकार भिन्न–भिन्न है तथा चाहा गया रिलिफ भी अलग–अलग
इसलिये प्रार्थना पत्र धारा 11 जा0दी0 खारिज फरमाया जावे।

उक्त उनवानी अपील के संबंध में तहसीलदार महवा
रिपोर्ट चाही गयी। तहसीलदार महवा की रिपोर्ट अनुसार मान
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा अग्रिम आदेश
विवादित आराजी की यथास्थिति बनाये रखने का नोट अंकित है
माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा विवादित आरा
खसरा नंबर 990 के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बन
रखने का स्थगन नोट अंकित है।

हमने वकील उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र धारा 11 जा0द
पर बहस सुनी। तहसीलदार महवा की रिपोर्ट का अवलोकन किय
हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात
अवलोकन किया। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। बा
गौर बहस व पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि विवादित आराज
खसरा नंबर 990 वाके ग्राम रामगढ के संबंध में पूर्व में न्यायाल
सहायक कलक्टर महवा वाद संख्या 117/99 उनवान जगदीश प्रसा
बनाम तहसीलदार में विवादित आराजी की दुरूस्ती के संबंध में निर्ण
दिया गया था कि ग्राम रामगढ तहसील महवा की आराजी गत खसर
नंबर 86 रकबा 17 विस्वा जगदीशप्रसाद पुत्र चन्दलाल, शंकरलाल पु
रामस्वरूप हिस्सा 1/2 व रमेशचन्द पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/2 की
खातेदारी में दर्ज था परन्तु भू–प्रबंध विभाग द्वारा नवीन खसरा नंबर
990 रकबा 0.20 हैक्टेयर बनाया गया और खातेदारी मंदिर श्री
सीताराम के नाम दर्ज कर दी। न्यायालय सहायक कलेक्टर महवा
द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.09.2001 में यह स्पष्ट अंकित किया है
कि भू–प्रबंध विभाग को गत प्रविष्ठि को बिना किसी आधार के
परिवर्तन का कोई अधिकार नही है और उनके द्वारा बदली गयी
प्रविष्ठि गलत है। इसलिये दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये गये।
अपीलांट रामेश्वर द्वारा माननीय न्यायालय जिला कलक्टर न्यायालय
दौसा के समक्ष सहायक कलक्टर महवा के निर्णय दिनांक 27.09.2001
के विरूद्ध रेफरेन्स पेश किया जिसे माननीय जिला कलक्टर दौसा
द्वारा वाद संख्या 01/2016 दिनांक 28.03.2016 को अपीलांट रामेश्वर
द्वारा व तत्कालीन तहसीलदार महवा द्वारा व बद्रीप्रसाद द्वारा उक्त
तीनो के द्वारा विवादित आराजी के संबंध में किये गये रेफरेन्स को
एक निर्णय के द्वारा ही निस्तारित कर खारिज फरमाया गया। उक्त
निर्णय के अपीलांट रामेश्वर द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष
पिटीशन संख्या 3243/2016 रामेश्वर बनाम जगदीश प्रसाद वगै0 पेश
की गई जिसे भी राजस्व मण्डल द्वारा 11.04.2017 को अपीलांट द्वारा
पेश गई रिविजन को खारिज कर दिया गया। इस निर्णय के संबंध में
अपीलाण्ट रामेश्वर द्वारा सिविल रिट पिटीशन संख्या 5994/2017
माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान बैंच जयपुर भी दायर की गई
जिसका निर्णय दिनांक 25.04.2017 द्वारा दिया गया। इस प्रकार उक्त
विभिन्न माननीय न्यायालयों में विवादित आराजी के संबंध में सुना जा
चुका है और वह अंतिम रूप से निर्णित किया जा चुका है। इसलिये
विवादित आराजी के संबंध में पूर्व में सहायक कलेक्टर महवा द्वारा

माननीय जिला कलेक्टर दौसा द्वारा, एवं माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच द्वारा निर्णित किए जाने के बाद उसी विषय वस्तु पर कानूनन वाद व अपील करने का कोई प्रावधान नहीं होने व विधी द्वारा वर्जित होने के कारण प्रार्थना पत्र धारा 11 जा0दी0 को स्वीकार किया जाना उचित समझते है और अपील अपीलांट को खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11 जा0दी0 को स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट की अपील विरूद्ध नामांतकरण संख्या 812 दिनांक 22.12.2015 को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2026 को खुले न्यायालय में बसबत मेरे मुहर दस्तखत से जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)